रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 177] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 21, 2001/फाल्गुन 30, 1922

No. 177] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 21, 2001/PHALGUNA 30, 1922

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 मार्च, 2001

का.आ. 248(अ).—यत: दिल्ली में बनाये जाने वाले भवनों में भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं के बारे में अपेक्षित सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने के लिए भवन उपनियमों में उपयुक्त प्रावधान करने का विषय सरकार के विचाराधीन रहा है।

यतः एक सार्वजनिक सूचना दिनांक 10.2.2001 को जारी और समाचार पत्रों में प्रकाशित की गयी थी, जिसमें भवन उपनियम, 1983 में केन्द्र सरकार द्वारा किये जाने वाले प्रस्तावित उपांतरण/परिवर्द्धन दिये गये हैं । जनता से कुल मिलाकर 51 आपत्तियां/सुझाव प्राप्त हुए और नगर और ग्राम नियोजन संगठन के मुख्य नियोजक की अध्यक्षता में एक समिति द्वारा इनकी जांच की गयी।

यतः, रिपोर्ट पर व्यापक विचार विमर्श के पश्चात केन्द्र सरकार ने भवन उपनियम 1983 में निम्नलिखित उपांतरण/परिवर्द्धन करने का निर्णय लिया है ।

यतः अब केन्द्र सरकार दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 11ए की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भवन उपनियम, 1983 में निम्नलिखित उपांतरण/परिवर्द्धन करती है ।

उपांतरण

(i) भवन उपनियम, 1983 के भाग III के खंड 18 (संरचनात्मक सुरक्षा और सेवायें) को इस प्रकार उपांतरित किया जाएगा ;

*18 "नींव, चिनाई, टिम्बर, सादा कंक्रीट, पूर्व प्रचलित कंक्रीट, पूर्व दावित कंक्रीट और इस्पात ढांचे का संरचनात्मक डिजाइन, भवनों की भूकंप सुरक्षा के लिए अनुलग्नक "क" में दिये गये भारतीय मानकों सहित भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित सभी संगत भारतीय मानकों को ध्यान में रखकर भारतीय राष्ट्रीय भवन कोटि के भाग-VI संरचनात्मक डिजाइन, धारा-1-भार, खंड-2-नींव, खंड-3-लकड़ी, खंड-4-चिनाई, खंड-5-कंक्रीट, खंड-6-इस्पात के अनुसार किया जाएगा ।"

(टिप्पणी :- जब कभी भारतीय मानक अथवा राष्ट्रीय भवन कोटि का उल्लेख होगा, तब मानक के अद्यतन प्रावधान का अनुपालन किया जाएगा)

(ii) भवन उपनियम के खंड 6.2.9 (भवन निर्माण परमीट के लिए आवेदन के साथ लगाये जाने वाले कागजात) में एक अतिरिक्त उपखंड निम्नलिखित अनुसार जोड़ा जाता है :-

"(i) अनुलग्नक ख व ग में यथानिर्दिष्ट प्रमाण पत्र पर मकान मालिक, वास्तुकार और संरचना इंजीनियर द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगें ।"

[सं. के-12016/5/79-डीडी-आई ए/वी ए/आई बी/पार्ट]

एस. बनर्जी, संयुक्त सचिव

अनुलग्नक-क

आपदा सुरक्षा के लिए भारतीय मानकों/दिशा निर्देशों की सूची

भूकंप सुरक्षा के लिए

1. भारतीय मानक 1893-19844 "संरचनाओं के भूकंप रोधी डिजाइन के लिए मानदंड (चौथा संस्करण)" जून, 1986
2. भारतीय मानक : 13920-1993 "डक्टाइल डिटेलिंग ऑफ रीइंफोर्सड कंक्रीट स्ट्रक्चरस सब्जेक्टीड टू सीस्मिक फोर्सेस - कोड ऑफ प्रक्टिस" नवम्बर, 1993
3. भारतीय मान 13828 1993 " भूकंप रोधी डिजाइन और भवनों का निर्माण-कोड ऑफ प्रक्टीस (दूसरा संस्करण)" अक्तूबर, 1993
4. भारतीय मानक 13828-1993 " इम्प्रूविंग अर्थक्वेक रसिस्टेंस ऑफ लो-स्ट्रैंथ मैसनरी बिल्डिंग्स-गाइड लाइंस" अगस्त, 1993
5. भारतीय मानक: 13827-1993 " इम्प्रूविंग अर्थक्वेक रसिस्टेंस ऑफ अर्दन बिल्डिंग्स-गाइडलाइन्स" अक्तूबर, 1993

6. भारतीय मानक : 13935-1993 'रिपेयर एंड सीस्मिक स्ट्रैंथनिंग ऑफ बिल्डिंग्स-गाइडलाइन्स, नवम्बर, 1993

अनुलग्नक-ख (खंड 6.2.9 के तहत)

प्रमाण पत्र : भवन निर्माण अनुमति हासिल करने के लिए नक्शा प्रस्तुत करते समय भवन नक्शों के साथ निम्नलिखित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किये जायें:

1. प्रमाणित किया जाता है कि अनुमोदन के लिए प्रस्तुत भवन नक्शे भवन उपनियम, 1983 के खंड 18 में यथा विहित सुरक्षा उपायों को पूरा करते हैं और इसमें दी गयी सूचना हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार तथ्यतः सही है ।

2. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि भूमि दशाओं पर प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा सहित संरचनात्मक डिजाइन को भवन डिजाइन में विधिवत शामिल किया गया है और इन प्रावधानों का निर्माण के दौरान अनुपालन किया जाएगा ।

मकान मालिक के हस्ताक्षर तारीख सहित	वास्तुकार के हस्ताक्षर व तारीख	संरचना इंजीनियर के हस्ताक्षर व तारीख (एनबीसी ऑफ इंडिया में यथा परिभाषित)
नाम (स्पष्ट अक्षरों में)	नाम (स्पष्ट अक्षरों में)	नाम (स्पष्ट अक्षरों में)
पताः	पताः	पताः

अनुलग्नक-ग (खंड 7.5.2 के तहत)

प्रमाण पत्रः फार्म 'ड' प्राप्त करते समय या पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करते समय जो भी पहले हो निम्नलिखित प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगाः

1. प्रमाणित किया जाता है कि भवन (भवनों) का निर्माण, स्वीकृत नक्शा और संरचनात्मक डिजाइन किया गया है (निष्पादित संरचनात्मक नक्शे का एक सैट संलग्न है) किया गया है, जिसमें संगत प्रचलित आई.एस. कोडों/मानक/दिशा-निर्देशों में यथा विनिर्दिष्ट संरचनात्मक सुरक्षा के प्रावधान समाहित हैं ।
2. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि निर्माण कार्य हमारे पर्यवेक्षण और मार्गदर्शन में किया गया है और वह प्रस्तुत नक्शों के अनुसार है तथा हमने पर्यवेक्षण का रिकार्ड रखा है ।
3. नक्शों के अनुसार निर्माण कार्य पूरा होने के बाद यदि कोई परिवर्तन होता है तो उसकी जिम्मेदारी भवन मालिक (मालिकों) की होगी ।

मकान मालिक के हस्ताक्षर तारीख सहित	वास्तुकार के हस्ताक्षर व तारीख	संरचना इंजीनियर के हस्ताक्षर व तारीख (एनबीसी ऑफ इंडिया में यथा परिभाषित)
नाम (स्पष्ट अक्षरों में)	नाम (स्पष्ट अक्षरों में)	नाम (स्पष्ट अक्षरों में)
पताः	पताः	पताः

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT AND POVERTY ALLEVIATION

(DELHI DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st March, 2001

S.O. 248(E).—Whereas, the issue of making suitable provision in the Building Bye-laws to ensure that the buildings that are erected in Delhi provide for the requisite safety feature in respect of natural hazard by way of earthquake has been under the consideration of the Government;

Whereas a public notice was issued and published in the newspapers on 10-2-2001 providing modifications/ additions which the Central Government intended in the Building Bye-laws, 1983. In all 51 objections/suggestions were received from the public and they were examined by a committee under the convenorship of Chief Planner of Town and Country Planning Organization;

Whereas after thorough consideration of the report Central Government has decided to make following modifications/additions in The Building Bye-laws, 1983;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11A of Delhi Development Act, 1957, the Central Government hereby makes the following modifications/additions to the Building Bye-laws, 1983 with effect from the date of publication of this notification in the Gazette of India.

Modifications :

(i) Clause 18 of Part-III (Structural Safety and Services) of the Building Bye-laws, 1983 will be modified as

*18 "The structural design of foundation, masonry, timber, plain concrete, reinforced concrete, pre-stressed concrete and structural steel shall be carried out in accordance with Part-VI Structural Design, Section-1—Loads, Section-2—Foundation, Section-3—Wood, Section-4—Masonry, Section-5—Concrete, Section-6—Steel of National Building Code of India, taking into consideration all relevant Indian Standards prescribed by Bureau of Indian Standards including the Indian Standards given in Annexure-A for earthquake protection of buildings."

(Note: Whenever an Indian Standard or the National Building Code is referred, the latest provision in the Standard should be adhered to.)

(ii) An additional Sub-Clause is included under Clause 6.2.9 (Documents to accompany application for building permit) of Building Bye-laws as follows:

"(i) The certificate as indicated at Annexure-B and C to be signed by the owner, the architect and the Structural Engineer."

[No. K-12016/5/79-DDI/A/VA/IB (Pt)]
S. BANERJEE, Jt. Secy.

Annexure-A

LIST OF INDIAN STANDARDS/GUIDELINES FOR HAZARD SAFETY

For earthquake Protection

1. IS : 1893-1984 "Criteria for Earthquake Resistant Design of Structures (Fourth Revision)" June 1986.
2. IS : 13920-1993 "Ductile detailing of Reinforced Concrete Structures subject to Seismic Forces—Code of Practice" November 1993.
3. IS : 13828-1993 "Earthquake Resistant Design and Construction of Buildings—Code of Practice (Second Revision)" October 1993.
4. IS : 13828-1993 "Improving Earthquake Resistance of Low Strength Masonry Buildings—Guidelines" August 1993.
5. IS : 13827-1993 "Improving Earthquake Resistance of Earthen Buildings—Guidelines" October 1993.
6. IS : 13935-1993 "Repair and Seismic Strengthening of Buildings—Guidelines" November 1993.

ANNEXURE-B (under Clause 6.2.9)

Certificate : The following certificate is to be submitted along with the Building Drawing while submitting the plans for obtaining Building Permission:

1. Certified that the building plans submitted for approval satisfy the safety requirements as stipulated under Clause 18 of Building Bye-laws, 1983 and the information given therein is factually correct to the best of our knowledge and understanding.

2. It is also certified that the structural design including safety from natural hazards based on soil conditions has been duly incorporated in the design of the building and these provisions shall be adhered to during the construction.

Signature of the Owner with date	Signature of Architect with date	Signature of Structural Engineer with date (As defined in NBC of India)
Name in Block letters Address	Name in Block letters Address	Name in Block letters Address

Annexure—C (under Clause 7.5.2)

Certificate : The following certificate is to be submitted at the time of obtaining Form "D" or at the time of obtaining Completion Certificate, whichever is obtained earlier:

1. Certified that the building(s) has been constructed according to the Sanctioned Plan and structural design (one set of structural drawings as executed is enclosed) which incorporates the provisions of structural safety as specified in relevant prevailing IS Codes/Standards/Guidelines.

2. It is also certified that construction has been done under our supervision and guidance and adheres to the drawings submitted and the records of supervision have been maintained by us.

3. Any subsequent change from the completion drawings will be the responsibility of the owner(s).

Signature of the Owner with date	Signature of the Architect with date	Signature of the Structural Engineer with date (As defined in NBC of India)
Name in Block letters Address	Name in Block letters Address	Name in Block letters Address

Printed by the Manager, Govt of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.